उत्तर प्रदेश शासन
वन अनुभाग-1
संख्या- 100/2949/14-1-2014-300(04)/95
लखनऊ दिनांक 30 सितम्बर,2014

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय श्री के0बी0 लक्ष्मणमूर्ति, भा0व0से0 के दिनांक 30.04.2014 को सेवनिवृत्ति की तिथि के पूर्व उन्हें उपार्जित/अर्द्धवेतन अवकाश के दृष्टिगत देय 300 दिन के उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकदीकरण की अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-20(ए) (1) के अन्तर्गत सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त व्यय अनुदान संख्या:-62 के लेखा-शीर्षक-2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ (आयोजनेत्तर)-01-सिविल-115-छुटटी नकदीकरण हित लाभ-03-सेवानिवृत्ति के समय अवकाश का नकदीकरण-01-दिनांक 08 नवम्बर, 2000 तक सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के अवकाश का नकदीकरण-33- पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ-02- दिनांक 08 नवम्बर, 2000 के पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवकाश का नकदीकरण-33-पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ के नामे डाला जायेगा।

पवन कुमार
सचिव

संख्या- 2949 (1)/14-1-2014-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ।
2- श्री के0वी0 लक्ष्मणमूर्ति, भा0व0से0 (से0नि0) द्वारा प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
3- महालेखाकार, उत्त्र प्रदेश, इलाहाबाद/केन्द्रीय भवन, अलीगंज लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ।
5- कम्प्यूटर सहायक, वन अनुभाग-1 को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुरेश कुमार पाण्डेय)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in